2025

RAJASTHAN GRAMIN BANK

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PHASE IV AMALGAMATION OF REGIONAL RURAL BANKS

Contents

Planning & Development 2
PML/AML 5
ITSD 6
Financial Inclusion 9
Loans.. 10
Alternate Delivery Channel....................................... 13

PLANNING & DEVELOPMENT

खंड 1: खाते और जमा से जुड़े प्रश्न (Account & Deposit Related Questions)

1. क्या मेरे खाते का नंबर बदल जाएगा?

   नहीं प्रारम्भ में वर्तमान खाता संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा | भविष्य में यदि खाता संख्या में कोई भी परिवर्तन होगा तो समय पर आपको सूचित किया जायेगा |

2. क्या IFSC कोड बदल जाएगा?

   नहीं प्रारम्भ में वर्तमान IFSC code में कोई परिवर्तन नहीं होगा | भविष्य में यदि IFSC code में कोई भी परिवर्तन होगा तो समय पर आपको सूचित किया जायेगा |

3. मौजूदा पासबुक और चेकबुक का क्या होगा?

   वे वैध रहेंगी जब तक बैंक नई जारी नहीं करता।

4. मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सुरक्षित है?

   हां, आपकी एफडी पूरी तरह सुरक्षित है और पहले की शर्तों के अनुसार जारी रहेगी।

5. क्या मुझे नया खाता खोलना होगा?

   नहीं, मौजूदा खाता जारी रहेगा।

6. ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा क्या?

   मौजूदा फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए ब्याज दरें यथावत रहेंगी।

7. क्या मेरे आरडी (Recurring Deposit) का असर होगा?

   नहीं, वह पहले की तरह ही चालू रहेगी।

8. क्या मेरी सावधि जमा पर TDS कटेगा?

   हां, TDS नियम पहले की तरह ही लागू होंगे।

9. मेरी ऑटो डेबिट और ECS सुविधा पर असर पड़ेगा?

   नहीं, सभी सेवाएं यथावत रहेंगी।

10. विलय के बाद मुझे किस बैंक का नाम बताना होगा?

    विलय के बाद बैंक का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक हो जायेगा | उसी का प्रयोग करें।

11. प्र: क्या मेरी पुरानी बैंक की जमा बीमा (Deposit Insurance) जारी रहेगी?

    हां, सभी खातों पर ₹5 लाख तक की DICGC बीमा सुरक्षा यथावत जारी रहेगी।

12. क्या अब मैं किसी भी शाखा में जाकर फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकता हूँ?

    हां, एकीकृत बैंक की किसी भी शाखा से सेवाएं ले सकते हैं।

13. क्या पुराना ग्राहक ID अब भी मान्य है?

    हां, लेकिन अगर एक से ज्यादा ID हैं, तो भविष्य में उन्हें मर्ज किया जा सकता है।

14. मैं अपनी FD को ऑनलाइन रिन्यू कर सकता हूँ क्या?

हाँ, आप अपनी FD को ऑनलाइन renew कर सकते हैं |

15. क्या पुरानी बैंक की रेकरिंग डिपॉजिट की किश्तें नई बैंक से कटेंगी?

हां, सभी किश्तें ऑटोमैटिक रूप से जारी रहेंगी।

◈ खंड 2: ग्राहक सेवा और बैंकिंग सुविधाएं (Customer Service & Banking Facilities)

16. मेरी शाखा का स्थान या समय बदलेगा?

राजस्थान ग्रामीण बैंक की समस्त शाखाओं का नया समय प्रातः 9:45 से सांय 4:45 हो गया है |

17. क्या मुझे नया KYC फॉर्म भरना होगा?

यदि आपके दस्तावेज़ अपडेटेड नहीं हैं, या फिर आपके खाते में Re-KYC लंबित है, अथवा बैंक द्वारा आपसे KYC दस्तावेज अपडेट करवाने हेतु संपर्क किया गया है, तो ही आपको नया KYC फॉर्म सबमिट करना है |

18. मेरी पेंशन या सब्सिडी भुगतान पर असर होगा?

नहीं, वे पूर्ववत जारी रहेंगे।

19. क्या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा?

हां, यही इस विलय का उद्देश्य है।

20. शिकायत कैसे दर्ज करूं?

आप शाखा, वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

21. क्या बैंक का नाम और लोगो बदलेगा?

बैंक का नया नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा, नया लोगो भी शीघ्र ही जारी किया जायेगा |

22. क्या सभी कर्मचारियों को विलय के बाद नई प्रणाली की ट्रेनिंग दी गई है?

हां, बैंक ने समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया है ताकि सेवा में कोई बाधा न आए।

23. SMS अलर्ट की सेवा जारी रहेगी?

हां, आपकी अलर्ट सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी।

24. मुझे बैंक स्टेटमेंट कब और कैसे मिलेगा?

आप शाखा, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं।

25. बैंक का WhatsApp banking सुविधा जारी रहेगी?

हाँ, WhatsApp banking सेवाएं जारी रहेगी |

26. क्या मुझे अपने नॉमिनी को दोबारा रजिस्टर करना होगा?

नहीं, मौजूदा नॉमिनी रिकार्ड्स मान्य रहेंगे।

◈ खंड 3: अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न (Other Important Questions)

27. चेक क्लियरेंस में कोई समस्या आएगी?

    नहीं, सभी चेक सामान्य रूप से क्लियर होंगे।

28. क्या मुझे शाखा में जाकर कोई नया फॉर्म भरना पड़ेगा?

    नहीं, जब तक कोई विशेष अपडेट आवश्यक न हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सभी सेवाएं निर्बाध रूप से यथावत जारी रहेगी |

29. क्या मुझे मेरी चेकबुक के लिए नया आवेदन करना होगा?

    यदि आपके पास पहले से चेकबुक है, तो वह वैध रहेगी। नई चेकबुक के लिए शाखा में आवेदन करना होगा यदि पुरानी समाप्त हो जाए।

30. : क्या मेरी जमा राशि की न्यूनतम शर्तें बदलेंगी?

    नहीं, आपकी मौजूदा जमा राशि की शर्तें वही रहेंगी, जब तक बैंक नया निर्देश न दे।

31. अगर मेरी जमा पर चुकता तिथि (maturity date) आने वाली है, तो क्या कोई बदलाव होगा?

    नहीं, आपकी जमा राशि की चुकता तिथि वैसी की वैसी रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा।

32. समामेलन के बाद, मेरी लॉकर सुविधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

    लॉकर सुविधा तथा शुल्क बैंक द्वारा समय समय पर बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभावी रहेंगे , जिसको जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है |

XXXXXXX

PML/AML

1. आरएमजीबी और बीआरकेजीबी के विलय के बाद मुझे बैंकिंग सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई आपति हो तो मैं अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?

आप अपनी शिकायत www.rajgb.in या अपनी शाखा के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं:

2. अगर मुझे साइबर धोखाधड़ी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो क्या होगा?

• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने और इनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है . आप साइबर धोखाधड़ी की शिकायत इसनंबर पर दर्ज करा सकते हैं | साथ ही राजस्थान ग्रामीण बैंक की website (www.rajgb.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं | चार्जबैक शिकायत दर्ज करने के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त अपनी होम ब्रांच से भी संपर्क कर सकते हैं।

XXXXXXX

ITSD

1. 01 मई 2025 के बाद PFMS लेन-देन का क्या होगा?

PFMS संचालन RMGB और BRKGB दोनों के लिए CBS माइग्रेशन पूर्ण होने तक समानांतर रूप से जारी रहेगा। CBS माइग्रेशन के बाद, पुराना खाता नंबर उपयोग करने की सुविधा तीन महीने की ग्रेस अवधि तक उपलब्ध रहेगी ताकि ट्रांजेक्शन में कोई बाधा न आए और रिजेक्शन न हो।

2. क्या 01 मई 2025 के बाद RMGB और BRKGB के IFSC कोड तुरंत बदल जाएंगे?

नहीं, IFSC कोड में तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा। RMGB और BRKGB दोनों अपने मौजूदा IFSC कोड का उपयोग CBS माइग्रेशन पूर्ण होने तक करते रहेंगे। माइग्रेशन के बाद, नए एकीकृत बैंक के लिए नया IFSC संरचना लागू की जाएगी और आपको समय से पहले सूचित किया जाएगा।

3. क्या अमलगमेशन के बाद मुझे नया मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा?

नहीं, अभी किसी नए मोबाइल बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में नया ऐप लॉन्च होता है, तो आपको पहले से सूचना दी जाएगी और उसे डाउनलोड करने की सरल प्रक्रिया भी बताई जाएगी।

4. क्या 01 मई 2025 के बाद डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ (UPI, AEPS, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि) जारी रहेंगी?

हाँ, सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ बिना किसी रुकावट के पहले की तरह चलती रहेंगी। इनमें शामिल हैं:

- UPI सेवाएँ
- AEPS लेन-देन
- इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग
- एटीएम/डेबिट कार्ड उपयोग
- एसएमएस बैंकिंग

कोई भी बदलाव CBS माइग्रेशन के बाद ही लागू होगा और आपको पहले से बताया जाएगा।

5. क्या मेरी लेन-देन की हिस्ट्री सुरक्षित रहेगी?

हाँ, आपकी लेन-देन हिस्ट्री और खाता डेटा सुरक्षित रूप से संरक्षित रहेगा, अमलगमेशन के बाद भी।

6. क्या 01 मई 2025 के बाद Login Credential या बैंकिंग Apps में कोई बदलाव होगा?

नहीं। लॉगिन आईडी, पासवर्ड या मोबाइल बैंकिंग Apps में कोई बदलाव नहीं होगा। ग्राहक पहले की तरह मौजूदा विवरण का उपयोग कर सकते हैं।

7. क्या मेरे Save किए गए लाभार्थी (beneficiaries) बने रहेंगे?

हाँ, आपके इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग में Save किए गए लाभार्थी यथावत रहेंगे।

8. क्या अमलगमेशन के दौरान डिजिटल ट्रांजेक्शन करना सुरक्षित है?

बिलकुल। आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरी तरह सुरक्षित है। अमलगमेशन से डिजिटल सुरक्षा पर कोई असर नहीं होगा।

9. क्या अमलगमेशन के बाद मोबाइल बैंकिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा?

अभी नहीं। यदि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ी, तो आपको SMS, ऐप मैसेज या व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

10. क्या मेरी Standing Instruction (SI) और Schedule ट्रांसफर्स जारी रहेंगे?

हाँ, आपके सभी मौजूदा निर्देश जैसे EMI, SI और अन्य शेड्यूल ट्रांसफर्स चलते रहेंगे, जब तक आपको अलग से सूचना न दी जाए।

11. अगर अमलगमेशन के बाद आईटी सेवाओं में कोई समस्या आती है, तो क्या करें?

ग्राहक बैंक की सपोर्ट टीम से संपर्क करें । सभी मौजूदा हेल्पलाइन, शाखा संपर्क और शिकायत निवारण प्रणाली CBS माइग्रेशन भी सक्रिय रहेंगी।

12. क्या मुझे अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स (जैसे ई-कॉमर्स, सब्सक्रिप्शन) पर बैंक विवरण अपडेट करने होंगे?

अभी नहीं। यदि भविष्य में खाता संख्या, IFSC कोड, या UPI ID में बदलाव होता है, तो आपको समय रहते उसकी जानकारी और अपडेट का तरीका बताया जाएगा।

13. क्या ग्राहकों को बदलाव की जानकारी दी जाएगी?

हाँ, बैंक सभी ग्राहकों को अमलगमेशन उपरांत नवाचार के क्रम में समय समय पर सूचित करेगा, जिसके लिए निम्न विकल्प उपयोग में लिए जायेंगे :

- SMS
- आधिकारिक वेबसाइटें
- शाखा नोटिस
- मोबाइल बैंकिंग ऐप्स
- IVR
- अखबार

14. क्या डिजिटल ट्रांजेक्शन की लिमिट्स में कोई बदलाव होगा?

नहीं, आपकी मौजूदा लिमिट्स (UPI, IMPS, NEFT, आदि) यथावत रहेंगी। भविष्य में कोई बदलाव हुआ तो उसकी जानकारी दी जाएगी।

15. जो डिजिटल वॉलेट्स (जैसे Paytm, Amazon Pay) मेरे खाते से जुड़े हैं, क्या वो काम करते रहेंगे?

हाँ, आपके बैंक खाते से जुड़े वॉलेट्स बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे।

16. मुझे डिजिटल बैंकिंग में होने वाले बदलावों की सूचना कैसे मिलेगी?

आपको निम्न माध्यमों से सूचना दी जाएगी:

- SMS
- मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन
- वेबसाइट बैनर
- शाखा संचार
- IVR

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके संपर्क विवरण बैंक में अपडेटेड हों।

17. क्या मैं समामेलन (Amalgamation) के बाद राजस्थान ग्रामीण बैंक की किसी भी शाखा में बैंकिंग लेनदेन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, वर्तमान में आपको अपने पूर्ववर्ती ग्रामीण बैंक (e RMGB या eBRKGB) की शाखा के माध्यम से ही बैंकिंग लेनदेन करना होगा। तकनीकी माइग्रेशन के बाद राजस्थान ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं में बैंकिंग लेनदेन का कार्य निर्बाध रूप किया जा सकेगा, और इसके लिए आपको सूचित किया जायेगा |

18. क्या ग्राहक मौजूदा RMGB/BRKGB एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं और क्या सीमाओं में कोई बदलाव है?

मौजूदा RMGB/BRKGB एप्लिकेशन में कोई बदलाव नहीं होगा तथा सीमाएं भी यथावत रहेंगी। अगर लिमिट में कोई बदलाव होता है तो बैंक द्वारा आपको सूचित किया जाएगा।

19. क्या दोनों बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है? लागू सेवा शुल्क क्या होगा?

ग्राहक दोनों बैंकों के एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। सीबीएस इंटीग्रेशन के बाद नये शुल्क के बारे में आपको सूचित किया जायेगा।

XXXXXXX

FINANCIAL INCLUSION

1. क्या मेरी AePS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) सेवाएँ प्रभावित होंगी?

नहीं, आप अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नकद निकासी, नकद जमा, बैलेंस जानकारी और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाओं का उपयोग AePS के माध्यम से जारी रख सकते हैं |

आपके निवर्तमान बैंक की प्रणाली CBS माइग्रेशन उपरांत एकीकृत इकाई होने तक भी निर्बाध सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करेगी

2 . क्या विलय के बाद मेरा खाता नंबर या आधार डेटा बदल जाएगा?

सीबीएस माइग्रेशन तक AePS के ज़रिए लेनदेन के लिए-आपकी खाता संख्या तथा आधार संख्या वही रहेगी

हालाँकि, खाता संख्या, IFSC कोड, MICR कोड या शाखा के नाम में बदलाव होने की स्थिति में, बैंक आपको पहले से ही सूचित कर देगा।

3. PMJDY (प्रधानमंत्री जन धन योजना) के तहत मेरे बचत खाते का क्या होगा?

आपका जन धन खाता और उसके लाभ सक्रिय और अपरिवर्तित रहेंगे। आपके खाते से जुड़ी सभी सरकारी योजनाएँ बिना किसी व्यवधान के जारी रहेंगी।

4. क्या मुझे अपने आधार को नए बैंक से फिर से लिंक करना होगा?

अगर आपका आधार पहले से ही आपके खाते से लिंक है, तो आपको इसे फिर से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है।

5. क्या विलय के बाद नई सेवाएँ शुरू की जाएँगी?

हाँ, बैंक CBS माइग्रेशन के बाद बेहतर डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ और बेहतर ग्राहक सहायता प्रदान करेगा। अपडेट के लिए अपनी शाखा या BC से संपर्क में रहें।

6. क्या बैंक मित्र (बीसी) को बदला जाएगा या हटाया जायेगा ?

नहीं, बैंक मित्र सेवाएँ पहले की तरह जारी रहेंगी। भविष्य में, बीसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिवाइस या सॉफ़्टवेयर में बदलाव हो सकता है। आप अपने बीसी से सेवाएँ लेना जारी रख सकते हैं।

7. AePS विफलता या लेनदेन संबंधी समस्याओं के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

आप अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय अपना आधार नंबर, बैंक का नाम और लेनदेन की तारीख़ तैयार रखें।

8. क्या मेरे (DBT) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या पेंशन क्रेडिट में कोई व्यवधान आएगा?

कोई व्यवधान अपेक्षित नहीं है। आपकी DBT, पेंशन और सब्सिडी की राशि हमेशा की तरह आपके खाते में जमा होती रहेगी। सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपकी बैंक इकाई के साथ सही तरीके से लिंक सीड किया गया है |

XXXXXXX

LOANS & ADVANCES DEPARTMENT

1. क्या समामेलन के बाद मेरा ऋण खाता जारी रहेगा?
हाँ, आपका ऋण खाता यथावत जारी रहेगा। ऋण की शर्तें (ब्याज दर, अवधि, EMI आदि) बैंक द्वारा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्रो के अनुरूप रहेंगी।

2. क्या मुझे अपने ऋण की पुनर्भुगतान (Repayment) प्रक्रिया बदलनी होगी?
नहीं, पुनर्भुगतान (Repayment) प्रक्रिया वही रहेगी। यदि बैंक की IFSC कोड या खाता नंबर में बदलाव होता है, तो बैंक आपको यथासमय पर सूचित करेगा।

3. क्या ब्याज दर में कोई बदलाव होगा?
विभिन्न ऋण योजनाओं के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 01.05.2025 से एवं तत्पाश्चात समय-समय पर जारी ब्याज दरें प्रभावी रहेगी।

4. किश्त/ब्याज भुगतान कहाँ करना होगा?
किस्त या ब्याज का भुगतान बैंकिंग प्रणाली (CBS) एकीकरण होने की तिथि तक यथावत जारी रहेगा तथापि किस्त या ब्याज का भुगतान NEFT/IMPS/RTGS सुविधा द्वारा किसी भी शाखा के माध्यम से भी किया जा सकता है।

5. क्या मुझे फिर से कोई दस्तावेज़ी प्रक्रिया करनी होगी?
नहीं, पहले से चल रहे ऋण के लिए नए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं हैं। नए या पुराने ऋणों की समीक्षा/नवीनीकरण के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक के द्वारा निर्धारित दस्तावेजी प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

6. समामेलन के बाद क्या मुझे ऋण लेने में आसानी होगी?
जी हाँ, समामेलन के बाद बैंक द्वारा विविध प्रकार की ऋण योजनाओ में और अधिक तथा बेहतर ऋण सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

7. कृषि ऋण या सब्सिडी वाले ऋण पर क्या असर होगा?
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योजनाओं और सब्सिडी वाले ऋण वैसे ही चलते रहेंगे। आप योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के लिए पात्र रहेंगे।

8. अगर मेरी ऋण एप्लिकेशन प्रोसेस में है, तो क्या समामेलन का उस पर असर पड़ेगा?
नहीं, आपकी एप्लिकेशन उसी तरह प्रोसेस होगी जैसे पहले होती थी। समामेलन की प्रक्रिया के दौरान बैंक सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की सेवाएं बाधित न हों।

9. क्या मैं समामेलन के बाद किसी भी शाखा से ऋण संबंधी कार्य कर सकता हूँ?
हाँ, कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS) के अंतर्गत आप समामेलन के बाद अपनी पात्रतानुसार किसी भी शाखा से सेवाएं ले सकते हैं। हालांकि कुछ सेवाएं (उदाहरनार्थ : सावधि जमाओ के विरुद्ध मांग ऋण इत्यादि) अभी भी होम ब्रांच पर आधारित हो सकती हैं।

10. समामेलन के बाद क्या ऋण स्वीकृति में देरी होगी?
नहीं। बैंकिंग प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी, बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदको/ऋणियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

11. क्या समामेलन के बाद सहूलियत बढ़ेगी, जैसे डिजिटल ऋण एप्लिकेशन या ऑनलाइन ट्रैकिंग?
हाँ, समामेलन के बाद बैंक अपनी तकनीकी सुविधाओं को एकीकृत और बेहतर करेगा, ताकि डिजिटल सेवाएं अधिक सुगम हो सके।

12. क्या SHG को दिए गए ऋण पर कोई असर होगा?
नहीं, स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHG) के ऋण यथावत रहेंगे। उनकी स्कीम्स और शर्तें बनी रहेंगी।

13. अगर मेरी चुकता राशि में कोई गड़बड़ी होती है, तो मैं किससे संपर्क करूं?
आप अपने होम ब्रांच या बैंक की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

14. क्या समामेलन के बाद सभी ऋण उत्पाद एक समान हो जाएंगे?
जी हाँ। समामेलन के बाद सभी क्षेत्रीय प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक समान ऋण स्कीम्स लागू कर दी गयी है।

15. क्या पुरानी ऋण दरें (Old Interest Rates) नए बैंक के अनुसार अपडेट होंगी?
जी हां। सभी ऋण एवं अग्रिम उत्पादों पर बैंक में दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी परिपत्रानुसार ब्याज दरें लागू होगी।

16. SHG (Self Help Group) या JLG (Joint Liability Group) के ऋण पर कोई असर होगा क्या?
SHG/JLG ऋण यथावत रहेंगे। इनके लिए समय समय पर जारी दिशानिर्देश व प्रक्रिया से मार्गदर्शित रहे।

17. क्या समामेलन के बाद क्रेडिट लिमिट (Cash Credit, OD इत्यादि) में कोई बदलाव संभव है?
नहीं, आपको पूर्व में स्वीकृत Cash Credit, OD इत्यादि की लिमिट पूर्ववत जारी रहेगी जो की बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगी।

18. क्या केसीसी (Kisan Credit Card) पर असर पड़ेगा?
नहीं, KCC ऋण योजना पूर्ववर्ती/नवीनतम निर्देशों के अनुरूप जारी रहेगी।

19. क्या मुझे अपने ऋण खातों के लिए नई पासबुक लेनी होगी?
नहीं, आप नई स्टेशनरी उपलब्ध होने तक पुरानी पासबुक को उपयोग में ले सकते हैं।

20. क्या समामेलन के बाद बैंक से ऋण लेने की पात्रता (Eligibility) में कोई बदलाव होगा?
संभवत इसमें अधिक बदलाव नहीं होगा तथापि राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप पात्रता निर्धारित रहेगी।

XXXXXXX

ALTERNATE DELIVERY CHANNEL

1. क्या 01-05-2025 उपरांत दोनों पूर्ववर्ती बैंक RMGB व BRKGB के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) का तकनीकी एकीकरण/ माइग्रेशन पूर्ण होने तक, दोनों बैंक में CTS Clearing व डिजिटल बैंकिंग सेवाएं यथावत रूप से जारी रहेंगी ?

   हाँ, दोनों पूर्ववर्ती बैंक RMGB व BRKGB के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) का तकनीकी एकीकरण / माइग्रेशन पूर्ण होने तक दोनों बैंक में CTS Clearing व डिजिटल बैंकिंग सेवाएं यथावत रूप से जारी रहेंगी |

   - यूपीआई (UPI):
     दोनों बैंकों के ग्राहकों की मौजूदा UPI ID, लिंक्ड खाते से Google Pay, Phone Pe, BHIM आदि जैसे ऐप्स के माध्यम से लेन-देन यथावत रहेगा |

   - CTS Clearing: -
     दोनों बैंक में CTS Clearing मौजूदा व्यवस्था / कार्य प्रणाली के अनुसार सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ग्राहकों को जारी की गई चेक बुक कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) का तकनीकी एकीकरण पूर्ण होने तक यथावत वैध रहेगी|

   - आईएमपीएस (IMPS):
     तत्काल निधि हस्तांतरण की सुविधा पूर्व की तरह उपलब्ध रहेगी।ग्राहक अपने-अपने बैंक की मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिना किसी रुकावट के लेन-देन कर सकेंगे।

   - एनईएफटी एवं आरटीजीएस (NEFT/RTGS):
     दोनों बैंकों की मौजूदा प्रणाली के अनुसार ये सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी | ग्राहक मौजूदा खाता संख्या और IFSC कोड का उपयोग करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

   - मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग:
     दोनों बैंक के ग्राहकों हेतु अपने-अपने वर्तमान मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के उपयोग की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी।लॉगिन ID, पासवर्ड, लेन-देन सीमा जैसी जानकारियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

   - डेबिट कार्ड और एटीएम सेवा:
     ग्राहकों के मौजूदा डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम, ऑनलाइन लेन-देन, एवं पीओएस मशीन पर पहले की तरह होता रहेगा।

   - डिजिटल सेवा अनुरोध और ग्राहक अपडेट:
     SMS अलर्ट, MISS CALL ALERT, WhatsApp banking जैसे डिजिटल अनुरोधों पर मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता रहेगा।

2. डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किये गए लेनदेन से संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु ग्राहकों को कहाँ सम्पर्क करना होगा :

   डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किये गए लेनदेन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ववर्ती बैंक RMGB व BRKGB के ग्राहकों द्वारा अपनी मूल शाखा जहाँ उनका खाता है के माध्यम से या मूल बैंक के डिजिटल सेवाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा |

3. क्या 01-05-2025 उपरांत पूर्ववर्ती RMGB के ग्राहक ,पूर्ववर्ती BRKGB द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही डिजिटल सेवाओं का व पूर्ववर्ती BRKGB के ग्राहक पूर्ववर्ती RMGB द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते है |

   नहीं ,दोनों पूर्ववर्ती बैंक RMGB व BRKGB के ग्राहक कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) का तकनीकी एकीकरण/ माइग्रेशन होने तक केवल अपने मूल बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही डिजिटल लेनदेन सेवाओं का ही लाभ ले सकते है |

   उदाहरण के रूप में पूर्ववर्ती बैंक RMGB द्वारा UPI Lite कि सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है तो यह सुविधा तकनीकी एकीकरण/ माइग्रेशन होने तक केवल पूर्ववर्ती बैंक RMGB के ग्राहकों हेतु ही उपलप्ध रहेगी |

4. ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग में होने वाले बदलावों की सूचना कैसे मिलेगी?

   CBS एकीकरण पूर्ण होने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, IFSC, या ऐप्स में बदलाव किया जाता है, तो ग्राहकों को SMS, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, वेबसाइट, बैनर, शाखा संचार, IVR इत्यादि के माध्यम से पूर्व सूचना के साथ पूरी जानकारी और सहायता प्रदान की जाएगी| ग्राहक सुनिश्चित करें कि उनके संपर्क विवरण बैंक में अपडेटेड हों।

XXXXXXX

किसी भी जानकारी या मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क करें :

0141–4762324

(For e-BRKGB Customer)

&

0291-2593100

(For e-RMGB Customer)

&

0291-3504567

(Amalgamation Support Center)